न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खुर्जा, बुलन्दशहर।

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त का बयान मुल्जिम अंकित किया गया, जिसमें उसने घटना स्वीकार की। अभियुक्त को उसकी स्वेच्छा से जुर्म इकबाल के आधार पर अधिरोपित धारा के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

दिनांकः–

(श्रद्धा देवा)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
खुर्जा, बुलन्दशहर।